


विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2009-10



कार्यालय आयुक्त

स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर (छ.ग.)

विभागाध्यक्ष – श्री अजयपाल सिंह

कार्यालय आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा

भाग – 1

1. सामान्य जानकारी –

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य के विभिन्न निगमित एवं अनिगमित निकायों के एवं स्वायत्तशासी स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि के लेखाओं को अंकेक्षण विभाग द्वारा संपादित किया जाता है। विभाग द्वारा स्थानीय निकायों के नियम/ अधिनियम एवं उपविधियों तथा क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला जाता है। विभाग के प्रतिवेदन में निकाय के आर्थिक व्यवस्था तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन में सम्मिलित करते हुए अनियमितताओं के साथ आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण आपत्तियों का यथा संभव समावेश किया जाता है।

शासन के पत्र क्रमांक/एफ-1-ए-1/2002/स्था/चार रायपुर, दिनांक 26.04.08 द्वारा नगरीय निकाय यथा नगर निगम, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था स्थापित की गई है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 09-10 (31 दिसंबर 2009 तक) की अवधि में, जिन स्थानीय निकायों के लेखाओं की पश्चातवर्ती संपरीक्षा संपादित की गई है। उनकी आर्थिक व्यवस्था एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का सारांशीकृत विवरण दिया गया है। वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्व की आपत्तियों का भी यथा संभव उल्लेख संबंधित संस्थाओं/ निकायों के वर्ष विशेष के संपरीक्षा प्रतिवेदन में किया गया है। अनियमितताओं के संबंध में समय-समय पर विशेषतः निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रमुख अधिकारियों के साथ विचार विमर्श पश्चात विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास किये जाते हैं।

2. विभाग का प्रशासकीय ढांचा –

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरबा एवं कोरिया में स्थापित हैं। संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये कुल 356 पदों का सृजन किया गया है। संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में निम्नानुसार पद आबंटित किया गया है :-

क्र	कार्यालय	कुल पद संख्या
1	संचालनालय, रायपुर	43
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	75
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	55
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	42
5	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव	67
6	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	38
7	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरिया	36
कुल पद संख्या		356

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2009 की स्थिति में कार्यरत स्टाफ की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टीप
1	संचालक	01	01	0	
2	अतिरिक्त संचालक	01	0	01	अतिरिक्त प्रभार
3	संयुक्त संचालक	02	01	01	01 पद पर कार्यरत अधिकारी दिनांक 31.12.2009 को सेवा निवृत्त
4	उप संचालक	07	05	02	01 उपसंचालक नगरीय प्रशासन विकास विभाग रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर हैं । 01 पद पदोन्नति से रिक्त है।
5	सहायक संचालक	24	20	04	1. 01 सहायक संचालक प्रतिनियुक्ति पर मार्कफेड रायपुर में कार्यरत ।
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	78	52	26	01 ज्येष्ठ संपरीक्षक प्रतिनियुक्ति पर राज्य भंडार गृह निगम, रायपुर में कार्यरत एवं 16 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	01	0	01	--
8	अधीक्षक	01	01	0	--
9	मुख्य लिपिक	02	02	0	--
10	सहायक अधीक्षक	01	01	0	--
11	सहायक ग्रेड 1	01	01	0	छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ।
12	स्टेनोग्राफर	01	0	01	--
13	सहायक संपरीक्षक	155	115	40	
14	लेखापाल	01	01	0	--
15	सहायक ग्रेड 2	13	11	02	--
16	डाटा एंट्री ऑपरेटर	07	04	03	--
17	सहायक ग्रेड 3	21	16	05	08 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ।
18	स्टेनो टायपिस्ट	05	0	05	--
19	वाहन चालक	01+04	01+04	0	1. 04 पद संविदा पर कार्यरत है।
20	भृत्य	22	16	06	--
21	चौकीदार (अस्थाई)	07	07	0	01 चौकीदार म.प्र. के समय से कार्यभारित आकस्मिकता एवं 06 चौकीदार आकस्मिकता (कलेक्टर दर) पर कार्यरत
योग		356	259	97	--

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के तहत कुल 10542 संस्थाओं के लेखाओं की संपरीक्षा विभाग द्वारा संपन्न की जाती है जिनमें राज्य की 9820 ग्राम पंचायत भी सम्मिलित हैं। शासन द्वारा समय-समय पर शासनहित में अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के दृष्टिकोण से नवीन नगर पंचायतों का गठन एवं नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है जिससे ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी/वृद्धि संभावित होने से निकायों की संख्या में वृद्धि संभावित है। विभाग के रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरिया एवं कोरबा में स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से राज्य के समस्त निगमित एवं अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है।

3. जनकार्य दिवस की स्थिति :-

अ वित्तीय वर्ष 2008-09 की जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

1/4/08 को अवशेष	2008-09 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2008-09 में संपादित कार्य	31/03/09 को अवशेष
186410	44104	320514	27048	203466

ब वित्तीय वर्ष 2009-10 में जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

1/4/09 को अवशेष	2009-10 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2009-10 में संपादित कार्य (31.12.09 तक)	31/12/2010 को अवशेष
203486	59264	262750	30737	232013

- टीप:-
1. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जनकार्य दिवस में संशोधन के कारण दिनांक 01.04.09 के प्रारंभिक अवशेष में वृद्धि दृष्टिगत है।
 2. नगरीय निकाय यथा नगर निगम/विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण स्थगित करने के कारण इन निकायों के लिए निर्धारित मानव दिवस में दो गुनी वृद्धि दृष्टिगत है तथा भविष्य में लंबित अंकेक्षण मानव दिवस की उत्तरोत्तर वृद्धि संभावित है।

4. संपरीक्षा शुल्क :-

अ. 2008-09 से संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

		आंकड़े करोड़ में
1	अप्रैल 08 को प्रारंभिक शेष	10.50
2	1/4/2008 से 31/3/09 तक मांग	03.44
3	कुल मांग मार्च 2009 तक	13.94
4	कुल वसूली मार्च 2009 तक	0.61
5	दिनांक 31.3.08 को अवशेष	13.33

ब. 2009-10 से संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

		आंकड़े करोड़ में
1	1/4/09 को प्रारंभिक शेष	12.45
2	वर्ष 09-10 की मांग माह दिसंबर 09 की स्थिति में	01.70
3	कुल मांग दिसंबर 2009 की स्थिति में	14.15
4	कुल वसूली दिसंबर 2009 की स्थिति में	0.51
5	दिनांक 31.12.09 को अवशेष	13.64

टीप:- क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अंकेक्षण शुल्क में संशोधन के कारण दिनांक 01.04.09 के प्रारंभिक अवशेष में कमी तथा राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय यथा नगर निगम, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था स्थगित करने के कारण इन निकायों से संपरीक्षा शुल्क वसूली संतोषप्रद नहीं होने से अवशेष राशि अधिक दृष्टिगत है।

5. संपरीक्षा प्रतिवेदन :-

वर्ष 2008-09 में विभिन्न संस्थाओं/ निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

अ वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार थी:-

1/4/08 को प्रसारण हेतु लंबित प्रति	2008-09 में प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2008-09 में प्रसारित प्रतिवेदन	31/03/09 को अवशेष
57	1254	1311	1098	213

ब वित्तीय वर्ष 2009-10 (दिनांक 31 दिसम्बर 2009 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार है :-

1/4/09 को अवशेष	2009-10 (माह दिसंबर 2009) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2009-10 में (माह दिसंबर 2009) प्रसारित प्रतिवेदन	31/12/2010 को अवशेष
213	728	941	752	189

6. निराकृत आपत्तियां :-

वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं माह दिसम्बर 2009 की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थी :-

अ वित्तीय वर्ष 2008-09 की स्थिति में :-

अर्थ	वर्ष प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्ति संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	निराकृत आडिट आपत्ति संख्या	अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	
	2008.09	158526	18672	177198	2638	174560

ब वित्तीय वर्ष 2009-10 की स्थिति में :-

अर्थ वर्ष	प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्ति संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	निराकृत आडिट आपत्ति संख्या	अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	सन्निहित राशि
2009.10	174560	11358	185918	830	185088	11681924127

टीप:- राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय यथा नगर निगम, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था स्थगित करने के कारण इन निकायों से आपत्ति निराकरण संतोषप्रद नहीं होने से अवशेष आपत्ति अधिक दृष्टिगत है।

7. स्थानीय निकायों के आय-व्यय -

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिन निकायों की संपरीक्षा की गई उनके आय-व्यय के आंकड़े निम्नानुसार रहे :-

अ वित्तीय वर्ष 2008-09 की स्थिति में :-

आय - 28,52,32,54,962.00

व्यय - 79,54,87,85,686.00

ब. वित्तीय वर्ष 2009-10 (दिसंबर 2009) की स्थिति में

आय - 28,12,80,81,817.00

व्यय - 22,50,80,08,542.00

अंकेक्षण के समय एवं प्रतिवेदनों में लगातार आपत्ति लिये जाने के बाद भी अधिकांश स्थानीय संस्थाओं में यथा समय आय-व्यय पत्रक तैयार करने एवं सक्षम स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त करने के प्रति अपेक्षित अभिरूचि का अभाव दृष्टिगत हुआ। साथ ही संतुलित बजट तैयार नहीं किये जाने की प्रवृत्ति यथावत बनी हुई है। बजट प्रावधानों से अधिक व्यय सामान्यतः पाया गया। बजट पुनर्विनियोजन करके नियमित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं किया जाना परिलक्षित हुआ।

8. प्रभक्षण :-

लेखा नियमों में अवहेलना तथा स्थानीय निधि के उचित समय में शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :-

दिनांक 31.12.09 तक प्रकरणों की संख्या	31.12.09 को वसूली हेतु अवशेष राशि
1540	03,96,19,916.23

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष में प्रभक्षण से संबंधित प्रमुख आपत्तियों का उदाहरण निम्नानुसार है :-

1. नगर पंचायत लोरमी जिला बिलासपुर अर्थवर्ष 1999-2000 के अंकेक्षण प्रतिवेदन कंडिका क्रमांक 5 के अनुसार रसीदों से संग्रहित जलकर एवं विविध शुल्क की राशि पंचायत निधि में जमा न कर श्री शिवगीरी गोस्वामी द्वारा राशि रु. 26,990.00 का प्रभक्षण किया गया ।
2. जनपद पंचायत दरभा जिला बस्तर अर्थवर्ष 2000-01 से 07-08 के अंकेक्षण प्रतिवेदन कंडिका क्रमांक 5 के अनुसार जिला पंचायत जगदलपुर से प्राप्त राशि जनपद रोकपुस्त में प्रविष्टि तथा बैंक में जमा न कर राशि रु. 16,87,128.00 का संभावित प्रभक्षण ।
3. जनपद पंचायत बेरला जिला दुर्ग अर्थवर्ष 2002-03 से 05-06 के अंकेक्षण प्रतिवेदन कंडिका क्रमांक 4 के अनुसार बैंक पासबुक में जमा के अभाव में राशि रु. 10 लाख का संभावित प्रभक्षण ।
4. जनपद पंचायत रायगढ़ जिला रायगढ़ अर्थवर्ष 2004-05 से 07-08 के अंकेक्षण प्रतिवेदन कंडिका क्रमांक 5 के अनुसार बैंक क्रमांक 475368 दिनांक 06.10.05 से आहरित राशि कैश बुक में प्रविष्टि कर राशि रु. 1,05,392.00 का संभावित प्रभक्षण ।
5. जनपद पंचायत नवागढ़ जिला दुर्ग अर्थवर्ष 2003-04 से 07-08 के अंकेक्षण प्रतिवेदन कंडिका क्रमांक 12 के अनुसार बाजार नीलामी की बैंक राशि रु. 82,500.00 का संभावित प्रभक्षण ।
6. ग्राम पंचायत लोहारसिंह जनपद पंचायत पुसौर जिला रायगढ़ अर्थवर्ष 2003-04 से 08-09 पूर्व सरपंच द्वारा वर्तमान सरपंच को प्रभार में नगद राशि रु. 1,02,210.47 न सौपने से संभावित प्रभक्षण ।
7. ग्राम पंचायत तिवरागुड़ी जनपद पंचायत रामानुजगंज जिला सरगुजा वर्ष 2003-04 से 04-05 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका क्रमांक 11 अनुसार बैंक से विभिन्न तिथियों में राशि आहरण कर कैश बुक में प्रविष्टि न कर श्री जीतन सिंह पंचायतकर्मी (सचिव) द्वारा राशि रु. 1,46,536.00 का संभावित प्रभक्षण ।
8. ग्राम पंचायत सरिया जनपद पंचायत बहरमकेला जिला रायगढ़ अर्थवर्ष 2003-04 से 08-09 कैश बुक में योग त्रुटिकर राशि रु. 1 लाख का संभावित प्रभक्षण । प्रभक्षण कर्ता श्री बैजेन्द्र प्रधान पंचायत कर्मी ।
9. ग्राम पंचायत सुकली जनपद पंचायत कसडोल जिला रायपुर अर्थवर्ष 2003-04 से 07-08 अंकेक्षण प्रतिवेदन कंडिका क्रमांक 15 बर्हिगामी सरपंच के पास शेष दर्शाकर कर वर्तमान सचिव/सरपंच द्वारा राशि रु. 2,28,285.00 का दुरुपयोग/अपवंचन की संभावना । अपवंचनकर्ता श्री फेरुसिंह दीवान, श्री सदनलाल ध्रुव ।
10. ग्राम पंचायत उमरिया जनपद पंचायत बेमेतरा जिला दुर्ग वर्ष 2003-04 से 07-08 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका क्रमांक 07 अनुसार दोहरा भुगतान दर्शाकर राशि रु. 30,721.00 का संभावित प्रभक्षण । प्रभक्षण कर्ता श्री कामताप्रसाद वर्मा, स.ग्रा.प.अधिकारी, श्री अनुराधा दुबे, सरपंच ।
11. ग्राम पंचायत पल्ली जनपद पंचायत कोण्डागांव जिला बस्तर वर्ष 2003-04 से 07-08 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका क्रमांक 06 अनुसार रसीद बुक से प्राप्त आय रोकपुस्त में प्रविष्टि न कर राशि रु. 1,64,408.00 का संभावित प्रभक्षण । प्रभक्षण कर्ता श्री धनसूराम नेताम, भूतपूर्व सरपंच, संतु राम मरकाम भूतपूर्व सचिव ।

12. ग्राम पंचायत डोंगरीगुड़ा जनपद पंचायत कोण्डागांव जिला बस्तर वर्ष 2003-04 से 07-08 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका क्रमांक 06 अनुसार रसीद बुक से प्राप्त आय रोकपुस्त एवं पास में में प्रविष्टि न कर राशि रु. 8,15,551.00 का संभावित प्रभक्षण। प्रभक्षण कर्ता श्रीमति इतवारी बाई सोरी, भूतपूर्व सरपंच, श्री धन्नूराम सोरी वर्तमान संरचप श्री टी.सी. बब्बर एवं बी.आर. नाम भूतपूर्व सचिव।
13. ग्राम पंचायत जर्वे (ब) जनपद पंचायत बलौदा अर्थवर्ष 2006-07 से 07-08 रसीद बुकों से प्राप्त आय को पंचायत निधि में राशि रु. 30231.00 जमा नहीं किये जाने से संभावित प्रभक्षण।
14. नगर पंचायत लोरमी वर्ष 98-99 से 02-03 तक एवं 06-07 से 07-08 बैंक चेक चोरी कर राशि रु. 50000.00 आहरण से संभावित प्रभक्षण।

9. अधिभार :-

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जो किसी अधिकारी /कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैधानिक व्यय हुआ हो, ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है। ऐसे अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :-

अ. वित्तीय वर्ष 2008-09 की स्थिति में :-

क्र	प्रकरण का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि रु.	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि रु.
1	अधिभार आरोप पत्र	38	57,53,313.00	--	38	57,53,313.00
2	अधिभार सूचना	09	05,12,288.00	--	09	05,12,288.00
3	अधिभार आदेश	24	08,28,738.00	--	24	08,28,738.00
4	मांग प्रमाण पत्र	41	09,62,726.00	--	41	09,62,726.00

ब. वित्तीय वर्ष 2009-10 (दिनांक 01.04.08 से 31.12.09) की स्थिति में :-

क्र	प्रकरण का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि रु.	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि रु.
1	अधिभार आरोप पत्र	02	75,595.00	--	02	75,595.00
2	अधिभार सूचना	--	--	--	--	--
3	अधिभार आदेश	--	--	--	--	--
4	मांग प्रमाण पत्र	--	--	--	--	--

अधिभार के जरिये दोषी व्यक्तियों से धन राशि वसूली हेतु जिलाध्यक्षों को भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं, जिसकी वसूली अपेक्षित है।

महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी :-

संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी कुछ महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

10. क्षति/हानि संबंधी अनियमिततायें :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी क्षति/ हानि संबंधी अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कड़िका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1.	जनपद पंचायत आरंग	2006-07 से 08-09	08	भविष्य निधि कटौती से अधिक जमा से जनपद निधि को आर्थिक क्षति	63869.00
2.	कृषि उपज मण्डी समिति राजनांदगांव	98-99 से 06-07 एवं 08-09	-	मण्डी शुल्क विलम्ब से किए जाने से ब्याज की वसूली अपेक्षित	934250.00
3.	कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र कुम्हरावण्ड	08-09	05	अण्डर साइज जीन्स की विक्रय नहीं होने से क्षति	365245.00
4.	नगर पंचायत कटघोरा	2002-03 से 08-09	06	दुकान नीलामी की प्रीमियम राशि वसूल न किए जाने से आर्थिक क्षति	1736850.00
5.	पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त वि.वि. बिलासपुर	2008-09	-	अधिक भुगतान की वसूली अपेक्षित	33242.00
6.	पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त वि.वि. बिलासपुर	2008-09	-	स्रोत पर आय कर कटौती नहीं किया जाना	275730.00

11. अनावश्यक एवं अनियमित व्यय :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी अनावश्यक एवं अनियमित व्यय संबंधी आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1.	जनपद पंचायत धमतरी	2003-04 से 07-08	11	विज्ञापन प्रकाशन एवं हार्दिक अभिनंदन पर अनियमित व्यय	387817.00
2.	नगर पालिका परिषद जामूल	2008-09	—	सी.आई.सी./ परिषद की स्वीकृति के बिना अनियमित भुगतान	837000.00
3.	नगर पंचायत कटघोरा	2002-03 से 08-09	18	विद्युत सामग्री खरीदी में अनियमित भुगतान	267316.00
4.	जनपद पंचायत कोरबा	2004-05 से 06-07	11	अभिनंदन विज्ञापन पर व्यय	243450.00
5.	जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा	2005-06 से 07-08	14	जीप किराया पर अनियमित भुगतान	500968.00
6.	नगर पंचायत कुसमी	2003-04 से 06-07	10	जीप किराया पर अनियमित भुगतान	142015.00
7.	जनपद पंचायत बस्तानार	2004-05 से 07-08	03	परियोजना मद से सामग्री क्रय का अनियमित भुगतान	1172740.00
8.	नगर पालिका परिषद शक्ति	2005-06	—	जीप किराए का अनियमित भुगतान	154669.00
9.	जनपद पंचायत बम्हनीडीह	2002-03 से 08-09	—	पान सेंटर का अनियमित व्यय	205821.00
10.	ग्राम पंचायत चारपारा, जनपद पंचायत बलौदा	2007-08	—	इंदिरा आवास योजना में अनियमित भुगतान	137500.00

12. स्थापना संबंधी :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शित स्थापना संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1.	नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	2004-05 से 08-09	12	श्री सी.पी. उपाध्याय मु. न.पा.अधि. को अनियमित वेतनभुगतान	107000.00
2.	नगर पंचायत कटघोरा	2002-03 से 08-09	26	वेतनमान के अधिकतम से अधिक वेतन का भुगतान	17089.00
3.	नगर पालिका परिषद जामुल	2008-09	-	स्थाई प्रकृति के कार्य हेतु लगातार मस्टररोल में श्रमिकों को नियोजित किया जाकर वेतन का अनियमित भुगतान	2434640.00
4.	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार वि.वि. रायपुर	2007-08 से 08-09	11	संविदा नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को अधिक भुगतान	73196.00
5.	सी.एम.डी. महाविद्यालय बिलासपुर	2005-06 से 07-08	-	यात्रा भुगतान वसूली अपेक्षित	29944.00
6.	बैंक ऋण वसूली प्रोत्साहन योजना जिला जांजगीर	1998-99 से 2007-08	-	अनियमित नियुक्त के कारण श्री विजय कुमार साहू को समस्त भुगतान वसूली योग्य	89608.00

13. निर्माण कार्य संबंधी अनियमिततायें :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी निर्माण कार्य संबंधी अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1.	नगर पालिका गोबरा नवापारा	2005-06 से 07-08	18	सदर रोड़ निर्माण कार्य में अनियमित भुगतान	68076.00
2.	नगर पालिका परिषद जामुल	2008-09	—	राज्यप्रवर्तित योजना के तहत बाजार निर्माण कार्य का अनियमित भुगतान	2116433.00
3.	नगर पंचायत डोंगरगांव	2007-08 से 08-09	—	निर्माण कार्यो पर अनियमित व्यय की वसूली अपेक्षित	799146.00
4.	नगर पंचायत कटघोरा	2002-03 से 08-09	34	राजीव खेल निर्माण में व्यय निरर्थक	1630934.00
5.	नगर पालिका परिषद किरन्दुल	2008-09	10	लोहे की दर अधिक दिए जाने परिषद को आर्थिक क्षति	3027921.00
6.	जिला पंचायत बस्तर	200708 से 08-09	04	कंटीन निर्माण में अधिक भुगतान	422800.00
7.	नगर पंचायत बिल्हा	2008-09	—	गौरव पथ निर्माण विद्युत पोल रिपेयरिंग में अनियमितता	1734700.00

14. कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली अपेक्षित:-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा प्रतिवेदन में निकायों द्वारा कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली तत्परतापूर्वक यथासमय नहीं किये जाने से कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली भारी मात्रा में बकाया है । विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	नगर पंचायत गीदम	2008-09	9 से 12	संपत्तिकर/समेकित कर/दुकान/जलकर/अनुज्ञप्ति शुल्क बकाया	357987.00
2.	कृ.उ.म.स. राजनांदगांव	98-99 से 06-07 एवं 08-09	-	मण्डी शुल्क बकाया	3560434.00
3.	नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़	2008-09	-	करों की बकाया	5015000.00
4.	नगर पालिका परिषद बीरगांव	2008-09	06	बकाया कर की राशि वसूली योग्य	10237100.00
5.	कृ.उ.म.स. आरंग	2005-06 से 07-08	05	मण्डी शुल्क बकाया	16823439.00
6.	जनपद पंचायत बम्हनीडीह	2002-03 से 08-09	-	नौकाघाट का भारी बकाया	2999500.00

15. दायित्व निर्वहन में शिथिलता :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि स्थानीय निकायों द्वारा दायित्व निर्वहन में शिथिलता बरती जा रही है। जिससे निकायों के दायित्व में सतत वृद्धि होती जा रही है। दायित्व निर्वहन में शिथिलता से संबंधित उदाहरण निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार वि.वि. रायपुर	2007-08 से 08-09	21	आयकर/वाणिज्य कर कटौती का अभाव	173210.00
2.	नगर पंचायत डोंगरगांव	2007-08 से 08-09	—	स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक व्यय	5445613.00
3.	जनपद पंचायत पुसौर	2002-03 से 07-08	06	सेट्टिंग प्लेटस किराया वसूल न किया जाना	180000.00
4.	नगर नंचायत गीदम	2008-09	19	आयकर की राशि जमा नहीं किया जाना	226224.00
5.	नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	2004-05 से 08-09	32	वाणिज्यकर की राशि जमा नहीं किया जाना	265824.00
6.	नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा	2005-06 से 07-08	20	वाणिज्यकर की राशि जमा नहीं किया जाना	528203.00
7.	नगर पंचायत बिल्हा	2008-09	—	रायल्टी जमा का अभाव	153671.00
8.	बैंक ऋण वसूली प्रोत्साहन योजना जिला जांजगीर	1998-99 से 2007-08	—	संस्थागत वित्त संचालनालय रायपुर को राज्यांश राशि भेजा जाना अपेक्षित	58525.00

16. ग्राम पंचायतों के संबंध में विशेष :-

स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण प्रारंभ किये जाने के बाद प्रायः प्रतिवेदनों में आपत्तियां दृष्टिगत हुई कि भूतपूर्व सरपंच/ पदाधिकारियों द्वारा नगद राशि अनियमित रूप से रखा जाना तथा वर्तमान सरपंच द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 के नियम 18 अनुसार नगद सिलक की निर्धारित सीमा रु 2,500.00 से अधिक रखा जाना पाया गया है। विभाग द्वारा वर्तमान तक 4337 ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण संपादित किया गया जिनमें से अर्धवर्ष 2009-10 तक 690 ग्राम पंचायतों के भूतपूर्व/ वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से राशि रु 07,75,91,715.00 स्वयं के पास रखा जाना पाया गया इस प्रकार प्रभार हस्तांतरण में नगद राशि हस्तांतरित नहीं किये जाने एवं निर्धारित सीमा से अधिक नगद रखे जाने से दुर्विनियोजन की प्रबल संभावना होती है। इसमें पदाधिकारियों के नाम से विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु लंबे समय से रखे गये अग्रिम की धनराशि भी सम्मिलित है। अन्य महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	ग्राम पंचायत खिसोरा जनपद पंचायत मगरलोड	2003-04 से 07-08	07	करों की बकाया	81154.00
2	ग्राम पंचायत करिहा जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर	2003-04 से 07-08	04	श्री शिवाराम जुर्नी भूतपूर्व सरपंच / सचिव से राशि प्राप्त न होना	108885.00
3	ग्राम पंचायत बडकीमहरी (क्षे.का.कोरिया)	2003-04 से 07-08	-	सड़क निर्माण योजना अधिक व्यय	249600.00
4	ग्राम पंचायत गोबरसिंहा (क्षे.का.कोरबा)	2006-07 से 07-08	07	नगद राशि प्रभार में न सौंपना	1812160.00
5	ग्राम पंचायत उमरिया (क्षे.का.राजनांदगाव)	2003-04 से 07-08	-	जनभागीदारी शिक्षकों की नियुक्ति पर पंचायत निधि से अनियमित भुगतान	48800.00
6	ग्राम पंचायत पलारी (क्षे.का.राजनांदगाव)	2003-04 से 07-08	-	निर्माण कार्य संबंधी अनियमितताएं	2473446.00
7.	ग्राम पंचायत रेड़ा जनपद पंचायत सक्ति	2004-05	-	बोधनलाल यादव पूर्व सरपंच द्वारा प्रभार न सौंपना	124634.00
8.	ग्राम पंचायत केरा	2005-06 से 07-08	-	अनुदान प्राप्त से अधिक व्यय	580482.00
9.	ग्राम पंचायत चारपारा जनपद पंचायत बलौदा	2007-08	-	इंदिरा आवास निर्माण में अनियमित भुगतान	137500.00

17. राजस्व मांग वसूली :-

विभाग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष 2009-10 में संपरीक्षित निकायों में करों एवं शुल्कों की मांग वसूली संतोषजनक नहीं पायी गयी। विभिन्न संपरीक्षित वर्षों तथा संस्थाओं में उपलब्ध जानकारी अनुसार वर्ष 2008-09 में रु. 44,56,14,289.00+19000 डालर तथा वर्ष 2009-10 में रु. 20,11,30,919.00 (दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक) वसूली हेतु शेष थी।

18. अग्रिम :-

- अ. वित्तीय वर्ष 2008-09 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रु. 35,43,89,862.00 का अग्रिम समायोजन/ वसूली हेतु थी।
- ब. वित्तीय वर्ष 2009-10 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रु. 10,24,66,294.00 समायोजन / वसूली हेतु शेष है।

वित्तीय नियमों का समुचित पालन नहीं किये जाने से अग्रिमों का समायोजन होना नहीं पाया गया। विभिन्न निकायों के विभिन्न वर्षों में अधिकारी/कर्मचारी/अन्य संस्थाओं की ओर समायोजन हेतु शेष अग्रिम के उदाहरण निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	समायोजन हेतु शेष राशि
1.	इंदिरा गांधी कृषि वि.वि. संबद्ध इकाई कोरिया	2008-09	1000000.00
2.	नगर पालिका/नगर पंचायत/जनपद पंचायत/ जिला पंचायत/ग्राम पंचायत कोरबा	-	1462898.00
3.	जनपद पंचायत दरभा	2000-01 से 07-08	1795608.00
4.	नगर पालिका/नगर पंचायत राजनांदगांव	-	3462998.00
5.	जिला पंचायत/जनपद पंचायत रायपुर	-	5582258.00
6.	नगर पालिका परिषद मुंगेली	2005-06 से 07-08	3469000.00
7.	पं.सुंदर लाल शर्मा मुक्त वि.वि. बिलासपुर	2008-09	2121185.00

19. ऋण :-

- अ. वित्तीय वर्ष 2008-09 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रु.1,22,16,84,898.00 ऋण शेष थी।
- ब. वित्तीय वर्ष 2009-10 की स्थिति में (दिनांक 31 दिसम्बर 2009 तक) विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रु. 2,63,63,669.00 ऋण शेष है।

20. अनुदान :-

वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों को शासन / विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त अनुदान में से कुल राशि रु. 6,55,29,11,434.00 अवशेष होना पाया गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2009-10 (दिनांक 01.04.09 से 31.12.2009) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि रु. 3,64,98,57,839.00 का अनुदान अवशेष होना पाया गया।

21. निक्षेप :-

वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि रु.67,10,73,393.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया एवं वित्तीय वर्ष 2009-10 (दिनांक 01.04.09 से 31.12.09) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि रु. 92,68,065.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया।

भाग – दो

बजट :-

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा वर्ष 2009-10 के लिये राशि रु. 624.08 लाख आबंटित किया गया। आबंटित बजट में से दिनांक 31 दिसम्बर 2009 तक कुल राशि रु0 340.32 लाख व्यय हुआ है ।

भाग – तीन

1. निरीक्षण :-

संचालनालय के अधीन स्थानीय निकायों में पश्चातवर्ती संपरीक्षा दल के कार्यों का समय-समय पर सहायक संचालक द्वारा निरीक्षण पर्यवेक्षण की जाती है। इसके अतिरिक्त संचालक के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है ।

2. पर्यवेक्षण :-

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विभिन्न स्तरीय निकायों की विभिन्न वर्षों की लेखाओं की संपरीक्षा की गई तथा जिसमें से अधिकांशतः निकायों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया

3. अंकेक्षण के दौरान कटौती :-

स्थानीय निकायों में आवासीय संपरीक्षा के समय देयकों में अनियमितताओं एवं त्रुटियों के फलस्वरूप अंकेक्षण द्वारा विभिन्न देयकों से राशि रु. 21847.00 का कटौती मान्य किये गये।

(अजयपाल सिंह)
आयुक्त
स्थानीय निधि संपरीक्षा
रायपुर (छ.ग.)